No.12012/35/2020-UPP (E.29296) Government of India Ministry of Chemicals & Fertilizers Department of Fertilizers

Shastri Bhawan, New Delhi Dated the June, 2025

То

The Chairman & Managing Director, M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC), P.O. Fertilizers Nagar-391750 Distt. Vadodara Gujarat

Subject: - Revision in Provisional Concession Rates and Sales Tax Rates per MT of urea on account of escalation/de-escalation in input prices for the 3rd quarter for the year 2024-25 in respect of GSFC - Baroda.

Sir,

I am directed to say that it has been decided to revise the concession rates and Sales Tax per MT for urea produced by Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC)-Baroda on account of annual escalation/de-escalation in input prices for the 3rd quarter for the year 2024-25, as per details given below:

Rs./MT of Urea

Period	Details	Existing rate	Revised rate
01.10.2024 to 31.12.2024	Concession Price incl. Sales Tax	39,704	37,921
Continuing w.e.f 01.01.2025	Concession Price incl Sales Tax	39,704	37,921

2. The above concession rates and sales tax rates are provisional subject to audit and revision on account of any correction in data / workings and computation, if noticed later.

3. You may prefer your claims on the basis of the revised concession price in the proforma prescribed by the FICC. Reduction in subsidy on account of downward revision of concession price may be duly adjusted in the arrears subsidy bills or fresh subsidy bills to be preferred with the FICC and in case no payments are due from the

roshar

Government, the amount be refunded to the Government by due date.

4. This issues with the approval of the Competent Authority and concurrence of the Finance Division of this Department conveyed vide note #335 dated 10.06.2025 of E-File of even number.

Yours faithfully,

(Dinesh Chandra Sharma) Under Secretary to the Government of India Tele: 23389364

Copy to:

- 1. Controller of Accounts, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
- Director General, Fertilizer Association of India, 10 Shaheed Jit Singh Marg, New Delhi-110067.
- 3. ED, FICC
- 4. Director (CE), FICC
- 5. Director of Accounts, Fertilizer Accounts Wing, Department of Fertilizers, Udyog Bhawan, New Delhi.
- 6. Pay & Accounts Officer, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
- 7. Jt. Director (F&A), FICC, 8th Floor, Sewa Bhawan, New Delhi 110066
- 8. Fin-II Desk, Department of Fertilizers
- 9. US (IT), DoF for uploading the Notification of concession rate on website of the Department.
- 10. Guard File.

(Dinesh Chandra Sharma) Under Secretary to the Government of India Tele: 23389364

सं.12012/35/2020-यूपीपी (ई-29296) भारत सरकार रसायन और उर्वरक मंत्रालय उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक: 23 जून, 2024

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड,

पी.ओ. फर्टिलाइजर नगर-391750,

जिला वडोदरा, गुजरात

विषय: मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, बरोदा के संबंध में वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए आदान मूल्यों में तिमाही वृद्धि/कमी के कारण यूरिया की प्रति मीट्रिक टन अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए आदान मूल्यों में तिमाही वृद्धि/कमी के कारण मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, बरोदा द्वारा उत्पादित यूरिया की प्रति मीट्रिक टन अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

		Same	£
जीएस	एफर्स	-बर	दा

रुपये/मीट्रिक टन

अवधि	ब्यौरा	मौजूदा दर	संशोधित दर
01.10.2024 से	बिक्री कर सहित रियायत	39,704	37,921
31.12.2024 तक	मूल्य		
01.01.2025 से	बिक्री कर सहित रियायत	39,704	37,921
जारी दर	मूल्य		

2. उपर्युक्त रियायत दरें और बिक्री कर दरें अनन्तिम हैं जो लेखा परीक्षा किए जाने तथा आंकड़ों/गणनाओं तथा परिकलनों में बाद में जानकारी में आए किसी त्रुटि-सुधार के कारण संशोधन किए जाने के अध्यधीन हैं।

3. आप एफआईसीसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संशोधित रियायत मूल्य के आधार पर अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। रियायत मूल्य में कटौती करते हुए संशोधन के कारण राजसहायता में कमी को बकाया राजसहायता बिलों अथवा एफआईसीसी को प्रस्तुत किए जाने वाले नये राजसहायता बिलों में विधिवत समायोजित किया जाएगा और यदि सरकार की ओर से कोई भुगतान देय न हो तो राशि को निर्धारित तिथि तक सरकार को लौटा दिया जाए।

4. इसे इस विभाग के वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है, जो सम संख्यांक की ई-फाइल के नोट #335 दिनांक 10.06.2025 द्वारा सूचित किया गया है।

भवदीय,

रितेश नि रामा

(दिनेश चंद्र शर्मा) अवर सचिव (यूपीपी) दूरभाष: 23389364

प्रतिलिपिः

- 1. लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
- महानिदेशक, फर्टिलाइजर्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067.
- 3. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी
- 4. निदेशक (सीई), एफआईसीसी
- 5. निदेशक लेखा, उर्वरक लेखा विंग, उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- वेतन एवं लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
- 7. संयुक्त निदेशक (एफएंडए), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
- 8. वित्त-।। डेस्क, उर्वरक विभाग।
- 9. अवर सचिव (आईटी) को इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

10.गार्ड फाइल।

BALLE - TO SIHI

(दिनेश चंद्र शर्मा) अवर सचिव (यूपीपी) दूरभाष :23389364